

अंतिम डिक्री व मुकदमें इत्बाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रामधन बनाम उदाराम


दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 140/2020

पेश करने की दिनांक - 09.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 2175/2, 2185/2, 2185/4191/2, 2173/2, 2174, 2177/4729/2, 227/4521/2, 231/4520, 212/2, 214, 215, 216, 1899/4237, 1900/2, 1903, 220, 223, 2192/2, 218/2, 2192/4189/2, 2193/2 रकबा क्रमशः 0.48, 0.15, 0.3420, 0.49, 0.05, 0.3133, 0.055, 0.23, 0.3650, 0.03, 0.23, 0.23, 0.01, 0.09, 0.18, 0.38, 0.21, 0.21, 0.06, 0.04, 0.0316 का खातेदार रामधन पुत्र बालू को, खसरा नम्बर 227/4521/1 रकबा 0.2850 व 2173/1 रकबा 0.54 का खातेदार उदाराम पुत्र रामकिशन 1/3 हि., सुगनी पत्नी रामकिशन 1/3 हि. चंता पुत्री रामकिशन 1/3 हि. को खसरा नम्बर 218/1, 219, 212/1, 1901/4230, 1900/1, 2192/1, 2176, 2183, 1913/4233, 217 रकबा क्रमशः 0.21, 0.61, 0.115, 0.17, 0.11, 0.21, 0.07, 0.20, 0.01, 0.29, का खातेदार उदाराम पुत्र रामकिशन 22/30 हि., सुगनी पत्नी रामकिशन 2/15 हि., चंता पुत्री रामकिशन 2/15 हि. खसरा नम्बर 2175/1, 2185/1, 2185/4191/1 रकबा क्रमशः 0.32, 0.10, 0.2280 का खातेदार उदाराम पुत्र रामकिशन 1/18, सुगनी पत्नी रामकिशन 1/18 हि., चंता पुत्री रामकिशन 1/18 हि., सम्पत देवी पत्नी पप्पू 5/6 हि., खसरा नम्बर 2177/4729/1 रकबा क्रमशः 0.1567 का खातेदार सम्पत देवी पत्नी पप्पू को, खसरा नम्बर 2192/4189/1, 2193/1, 1913 रकबा क्रमशः 0.06, 0.1384, 0.16 का खातेदार उदाराम पुत्र रामकिशन 1/15, सुगनी पत्नी रामकिशन 1/15 हि., चंता पुत्री रामकिशन 1/15 हि., रामकिशानी पुत्री बालू 1/5 हि., नौसर पुत्री बालू 1/5 हि., रतनी पुत्री बालू 1/5 हि. सत्यनारायण पुत्र घीसा 1/5 हि. को घोषित किया जाता है। बैंक रहन का इन्द्राज पूर्व अनुसार रहेगा। शेष खसरा नम्बर शामिल में रहेगे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद


खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक _____ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।
बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 24 माह 12 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुदायला



बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद